15/6/18 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 18.6.18 को पेश हो। [illegible]

18/6/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थी/अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख से कम की जावे। बाद मियाद संस्थान बाद हो।

पुनश्चः :-

पत्रावली का अवलोकन करने पर बाद सं. 88, 89, 188 का है। सहवाद से प्रार्थना स्वीकार किया जाता। फैसले शुमार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है कि वादी के कब्जे में दखल देने की यथास्थिति बनाये रखे। फैसल शुमार होकर अभिलेख दाखिल हो। संस्थान बाद हो।